फाइल नं0-71-3002(002)/22/2024-03

90/2025/1/1053864/2025

प्रेषक,

चन्द्र शेखर मिश्र,

उप सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रधानाचार्य,

स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय,

बहराइच।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांकः 11 अगस्त, 2025

विषयः- वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बहराइच हेतु जी0एस0टी0 की धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–मे0का0ब0/नि0कार्य जी0एस0टी0/2025-26/1756, दिनांक 10.07.2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बहराइच के निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था द्वारा जमा की गयी जी0एस0टी0 की धनराशि उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4210-03-105-67-पांच जिला चिकित्सालयों को उच्चीकृत कर मेडिकल कालेज की स्थापना (के060/रा040-के0+रा0) में मानक मद-24-वृहद निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि रू0 5000.00 लाख के सापेक्ष स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बहराइच के निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था द्वारा जी0एस0टी0 के रूप में जमा की गई धनराशि रू0 8,89,60,531/- (रू0 आठ करोड़ नवासी लाख साठ हजार पॉच सौ इकतीस मात्र) इस शर्त के अधीन अवमुक्त की जाती है कि प्रधानाचार्य एवं वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, बहराइच द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यदायी संस्था द्वारा जमा की गयी धनराशि का रिफण्ड प्राप्त नहीं हुआ है।

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते/डाकघर में नही रखा जायेगा।
3. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृति दी गई है।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 8,89,60,531.00 (रुपये आठ करोड़ नवासी लाख साठ हजार पॉच सौ इकतीस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 031 लेखा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शीर्षक 42100310567 पांच जिला चिकित्सालयों को उच्चीकृत कर मेडिकल कालेज की स्थापना (के060/रा040-के0+रा0) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत् प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(चन्द्र शेखर मिश्र)
उप सचिव।

संख्या/तददिनांक, उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
4. प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बहराइच।
5. वित्त नियंत्रक, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बहराइच।
6. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी, बहराइच।
9. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, लखनऊ।
10. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(चन्द्र शेखर मिश्र)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।